

Annual Programme for 2025-26 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	<u>DETAILS OF WORK</u>	<u>'A' REGION</u>	<u>' B' REGION</u>	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 70% 4. From Region A 100% to Offices / Individuals in States / UTs of A & B region	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C 60% 4. From Region B 90% to Offices Individuals in States / UTs of A & B region	1. From C to A 60% 2. From C to B 60% 3. From C to C 60% 4. From Region C to 60% Offices / Individuals in States / UTs of A & B region
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3.	Noting in Hindi	80%	55%	35%
4.	Training Programme through Hindi Medium	75%	65%	35%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	80%	70%	45%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Assistant)	70%	60%	35%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material	100%	100%	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9. Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, hindi e-newspapers, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
10. Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.	100%	100%	100%
11. Website bilingual	100%	100%	100%
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices)	30% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)
(II) Inspections of sections at Headquarters.	30% (minimum)	30% (minimum)	30% (minimum)
(III) Joint inspections by the officers Concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspection in a year.		
14. Meetings regarding Official Language			
(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetings in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)		

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		वर्ष में 2 बैठकें	
(क)	हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ख)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
(ग)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति			

15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%	100%	100%
16. Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi.	45%	35%	25%

(Minimum Sections)

45% in 'A' Region, 30% in 'B' Region and 20% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept of sections.

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, “क” क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, “ख” क्षेत्र में 30% और “ग” क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।